अनुसूची-II

[विनियम 10(2) और 19(4) देखें]

नामांकन और अद्यतीकरण के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची

पांचवर्षतक कीआयुकेव्यक्तिके आधारनंबर केनामांकनके लिए पहचान, पते, संबंधयाजन्म तिथिकोसाक्षियत करनेकेलिए जो दस्तावेजप्रस्तुतकिए जा सकते हैं उनकीसूची ✔ काअर्थस्वीकार्यहै X काअर्थअस्वीकार्यहै			
● **नामांकनप्रकार I :परिवारकामुखिया*(एचओएफ)*आधारितनामांकन**			
क्र.सं.	**दस्तावेजोंकीसूची (इसतालिकाबद्ध ब्यौरेकेनीचेनोटदेखें)**	**बालक/बालिकाकेनामऔरपरिवारके मुखिया*(एचओएफ)* केनामसे युक्तसंबंध का सबूत *(पीओआर)*दस्तावेज**	**नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि कासबूत *(पीडीबी)*दस्तावेज**
1.	जन्म और मुत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत और उसके अंतर्गत बनाये नियमों के अनुसार अधिकृत प्राधिकारी (संबंधित राज्यों में) द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र	✔	✔
2.	वैधभारतीयपासपोर्ट (केवल*एनआरआई*केलिएलागू)	✔	✔
3.	विधिकसंरक्षकतासाबितकरनेकेलिएदस्तावेज	✔	X
● **नामांकन प्रकार II :दस्तावेजआधारितनामांकन**			
क्र.सं.	**दस्तावेजोंकीसूची (इसतालिकाबद्ध ब्यौरेकेनीचेनोटदेखें)**	**नाम और फोटो से युक्त पहचान का सबूत *(पीओआई)* दस्तावेज**	**नाम और भारतीय पते से युक्त पते का सबूत *(पीओए)* दस्तावेज**
4.	अधीक्षक/*वार्डन*/मैट्रन/मान्यताप्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख द्वारा *यूआईडीएआई*के मानक प्रमाण-पत्र प्रारूप पर जारी प्रमाण-पत्र (केवल आश्रय ग्रह या अनाथालय से संबंधित बालकों/बालिकाओं के लिए)।	✔	✔
● **भारतके कार्ड धारक विदेशी नागरिकों (ओसीआई)/नेपालऔरभूटाननागरिकोंऔरनिवासी विदेशी नागरिकों के लिए लागूदस्तावेज**			
5.	वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध *ओसीआई* कार्ड, उन निवासियों के लिए जो नामांकन आवेदन केठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरतहों।	✔	X*
6.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को जारी किए गए मूल देश के विदेशी पासपोर्ट (वैध या समाप्त) के साथ वैध दीर्घकालिक वीजा *(एलटीवी)* दस्तावेज।	✔	X*
7.	अन्य विदेशी नागरिकों को वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा जारी किया जाता है, जो नामांकन आवेदन केठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत हों।	✔	X*
8.	नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में, निम्नलिखित दोनों दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: (क) नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाण-पत्र (ख) 182 या अधिक दिनों भारत में निवासरतके लिए,भारत नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सीमित वैधता फोटो पहचान प्रमाण-पत्र	✔	X*

* आधारनामांकन (पांचवर्षसेअधिक) केलिएस्वीकार्यसहायकदस्तावेजोंकीसूचीमेंपते का सबूत केरूप में दस्तावेजलागूहोंगे।

नोट:उपरोक्तसारणीबद्ध ब्यौरेमेंसूचीबद्धकोईभीदस्तावेजकेवलतभीस्वीकार्यहोगाजबवहनिम्नलिखितशर्तोंकोपूराकरताहो , नामत : —

(क) यहवर्तमानमेंवैधहै (जबतककिऊपरस्पष्टरूपसेअन्यथाप्रावधानितनकियागयाहो);

(ख) जिसव्यक्तिकेसंबंधमेंऐसादस्तावेजजारीकियागयाहैवहउसकाहकदारहै;

(ग) यदिदस्तावेजमेंअंतर्विष्टसूचना सार्वजनिक रूपसेप्रदर्शितहैया *यूआईडीएआई*कोअन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापनीय है, तोयदिऐसेसाधनोंकाउपयोगकियाजाताहै तो सूचना सत्यापित होती है;और

(घ) पहचान, पते, जन्म तिथियासंबंधकोसाक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुतदस्तावेजकोजारीकरनेवालेप्राधिकारीने ऐसीश्रेणीके दस्तावेज केसंबंधमेंकोईघोषणानहींकीहैकिऐसा दस्तावेज इसकासबूत नहींहै।

महत्वपूर्णनोट :

(क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुएनिवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय *(एनआरआई)* के लिएजन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।

(ख) पांच वर्ष से कम आयु के बालकों/बालिकाओं के लिए परिवार के मुखिया *(एचओएफ)* आधारित नामांकन अनिवार्य है (आश्रय गृहों या अनाथालयों में रहने वाले बालकों/बालिकाओं के अलावा) माता-पिता में से कोई या विधिक संरक्षकपरिवार का मुखिया बन सकता है।

(ग) *एचओएफ* आधारित नामांकन करने से पूर्व *एचओएफ* के पास वैध आधार होना चाहिए।

(घ) *एचओएफ* आधारित नामांकन के लिए माता-पिता दोनों का आधार नंबर अपेक्षित है और माता-पिता में से किसी एक द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

(ङ) *पीओआर* दस्तावेज में बालक/बालिका और *एचओएफ*के नाम उल्लेख होना चाहिए।

(च) सहायकदस्तावेजमेंउल्लिखितव्यक्तिकानाम, व्यक्तिकेआधारमेंउसीरूपमेंदोहरायाजाएगा।माता-पिता/अभिभावककापहलानाम, मध्यनामऔरअंतिमनामजैसीकिसीअतिरिक्तसूचनापरविचारनहींकियाजाएगा।

(छ) *एचओएफ*के आधार में उल्लिखित पते का उपयोग बालक/बालिका के आधार में किया जाएगा।

(ज) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए , जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता अवधि तक ही मान्य होगा। हालांकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में , जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।

(झ) *ओसीआई* कार्ड धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

(ञ) *एलटीवी* दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार *एलटीवी* दस्तावेज की वैधता तक ही मान्य होगा।

(ट) *एचओएफ*को बालक/बालिकाके नाम पर जारी पहचान के सबूत *(पीओआई)* निम्न दस्तावेजों में से कोई भी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है :-

- (i) भारतीय पासपोर्ट
- (ii) केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटो युक्त प्रमाण-पत्र यथा अधिवास प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र आदि।
- (iii) केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी अनु सूचित जाति/ अनु सूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र।
- (iv) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र।

पांचवर्षया उससे से अधिक आयुकेव्यक्तिके आधारनंबर के नामांकनके लिए पहचान, पते, संबंधयाजन्म तिथिको साक्ष्यित करनेकेलिए जो दस्तावेजप्रस्तुतकिए जा सकते हैं उनकीसूची

✔काअर्थस्वीकार्यहै **X**काअर्थअस्वीकार्यहै

क्र.सं.	दस्तावेजोंकीसूची (इसतालिकाबद्ध ब्यौरेकेनीचेनोटदेखें)	नाम और फोटो से युक्त पहचान का सबूत (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का सबूत *(पीओए)* दस्तावेज	बालक/बालिका केनामऔरपरिवार केमुखिया *(एचओएफ)* केनामसे युक्तसंबंध का सबूत *(पीओआर)*दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि कासबूत *(पीडीबी)*दस्तावेज
1.	वैधभारतीयपासपोर्ट	✔	✔	✔	✔
2.	पैन कार्ड/ई-पैन कार्ड	✔	X	X	X
3.	राशन/पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड/ ई-राशन कार्ड	✔	✔	✔	X
4.	मतदाता पहचान पत्र / ई-मतदाता पहचान पत्र	✔	✔	X	X
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	✔	X	X	X
6.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/ नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	✔	X	X	✔
7.	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू / नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी पेंशनर फोटो पहचान पत्र/स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश	✔	X	✔	✔
8.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार /पीएसयू द्वारा जारी सीजीएचएस/ ईसीएचएस/ईएसआईसी/ मेडी-क्लेम कार्ड	✔	X	X	X
9.	दिव्यांगजन अधिकार नियम , 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र	✔	✔	X	X
10.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटोग्राफ युक्त प्रमाण-पत्र जैसे भामाशाह , अधिवास प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र, जन-आधार, मनरेगा/नरेगा जॉब कार्ड , लेबर कार्ड आदि।	✔	✔	✔	X
11.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र।	✔	✔	✔	X

12.	केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित मान्यता -प्राप्त शैक्षिक बोर्ड या विश्वविद्यालय या मानद् विश्वविद्यालय या उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी मार्क -शीट / प्रमाण-पत्र	✔	X	✔	✔
13.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (आरबीआई द्वारा वर्गीकृत) द्वारा जारी विधिवत मुहर लगी और हस्ताक्षरित , फोटोयुक्त पासबुक तथा प्रभारी शाखा प्रबंधक से एक सहायक प्रमाण-पत्र सहित, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि खाताधारक के संबंध में केवाईसी पूरा हो गया है और पते के लिए पते का सबूत है। पासबुक में दर्शाये गए पते के संबंध में पते का सबूत बैंक के अभिलेख में उपलब्ध है।	✔	✔	X	X
14.	ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम , 2019 के अंतर्गत जारी ट्रांसजेंडर पहचान कार्ड/ प्रमाण-पत्र	✔	✔	✔	✔
15.	*यूआईडीएआई* मानक प्रमाण-पत्र प्रारूप पर जारी प्रमाण-पत्र:				
	सांसद/विधायक/ एमएलसी/नगर पार्षद्	X	✔	X	X
	राजपत्रित अधिकारी समूह 'ए'/कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अधिकारी	X	✔	X	X
	तहसीलदार/ राजपत्रित अधिकारी समूह 'बी'	X	✔	X	X
	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) / राज्य स्वास्थ्य विभाग अधिकारी / राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के परियोजना निदेशक या उनके नामांकित के राजपत्रित (आपराधिक अपील संख्या 135/2010 में दिनांक 19.05.2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयके अनुसरण में)	✔	✔	X	X

	अधीक्षक / *वार्डन* / मैट्रन / मान्यता-प्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख (केवल आश्रय गृह या अनाथालयसे संबंधितबालकों/बालिकाओं के लिए)	✔	✔	X	X
	संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित मान्यता -प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (केवल संबंधित संस्थान के छात्रों के लिए)	X	✔	X	X
	ग्राम पंचायत प्रधान या मुखिया या इसके समकक्ष प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए), ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम राजस्व अधिकारी या समकक्ष (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)	X	✔	X	X
16.	बिजली का बिल (प्रीपेड/पोस्टपेड बिल , अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✔	X	X
17.	पानी का बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✔	X	X
18.	टेलीफोन लैंडलाइन बिल/पोस्टपेड मोबाइल बिल/ब्रॉडबैंड बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✔	X	X
19.	वैध पंजीकृत बिक्री अनुबंध/पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत उपहार विलेख/ पंजीकृत या गैर पंजीकृत किराया करार/ पट्टा करार/ अवकाश और लाइसेंस करार।	X	✔	X	X
20.	गैस कनेक्शन बिल (3 महीनों से पुराना न हो)	X	✔	X	X
21.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू / नियामक निकाय/ सांविधिकनिकाय द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	X	✔	X	X
22.	जीवन/चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य)	X	✔	X	X

23.	जन्म और मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और इसकेअंतर्गत बनाये गए नियमके अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र	X	X	✔	✔
24.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार हकदारी दस्तावेज	X	X	✔	X
25.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी किया गयाकैदी प्रवेश दस्तावेज (पीआईडी)	✔	✔	X	X
26.	विधिक संरक्षकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज	X	X	✔	X
भारतके कार्ड धारक विदेशी नागरिकों (ओसीआई)/नेपालऔरभूटाननागरिकोंऔरनिवासी विदेशी नागरिकों के लिए लागूदस्तावेज					
27.	निवासी जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत हैं, के वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध *ओसीआई* कार्ड	✔	X	X	X
28.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मूल नागरिकों के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिंदू , सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा *(एलटीवी)*दस्तावेज सहित विदेशी पासपोर्ट (वैध या वैधता समाप्त)	✔	✔	X	X
29.	नेपाल/भूटानकेनागरिकोंकेलिएनेपाल/भूटानकावैधपासपोर्ट।पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज एक ही पते वाले प्रस्तुत किए जा सकते हैं:- (क) वैधनेपाली/भूटानीनागरिकताप्रमाण-पत्र (ख) नेपाल/भूटानके चुनावआयोगद्वाराजारीवैधमतदातापहचानपत्र (ग) भारतमेंनेपालीमिशन/रॉयलभूटानीमिशनद्वाराजारीसबूत पत्र	✔	X	X	X
30.	जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत अन्य निवासी विदेशी नागरिकों के लिए जारी वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा।	✔	X	X	X
31.	निवासी विदेशी नागरिकों के लिए विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(एफआरआरओ) / विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(एफआरओ) द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र या आवासीय परमिट (*ओसीआई* कार्ड धारक, *एलटीवी* दस्तावेज धारक और नेपाल/भूटान के नागरिक को छोड़कर)	X	✔	X	X

नोट:उपरोक्तसारणीबद्ध ब्यौरेमेंसूचीबद्धकोईभीदस्तावेजकेवलतभीस्वीकार्यहोगाजबवहनिम्नलिखितशर्तोंकोपूराकरताहो , नामत : —

(क) यहवर्तमानमेंवैधहै (जबतककिऊपरस्पष्टरूपसेअन्यथाप्रावधानितनकियागयाहो);

(ख) जिसव्यक्तिकेसंबंधमेंऐसादस्तावेजजारीकियागयाहैवहउसकाहकदारहै;

(ग) यदिदस्तावेजमेंअंतर्विष्टसूचना सार्वजनिक रूपसेप्रदर्शितहैया *यूआईडीएआई*कोअन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापनीय है, तोयदिऐसेसाधनोंकाउपयोगकियाजाताहै तो सूचना सत्यापित होती है;और

(घ) पहचान, पते, जन्म तिथियासंबंधकोसाक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुतदस्तावेजकोजारीकरनेवालेप्राधिकारीने ऐसीश्रेणीके दस्तावेज केसंबंधमेंकोईघोषणानहींकीहैकिऐसा दस्तावेज इसकासबूत नहींहै।

<u>महत्वपूर्णलेख:</u>

(क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिएजन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।

(ख) पांच वर्ष से कम आयु के बालकों/बालिकाओं के लिए परिवार के मुखिया *(एचओएफ)* आधारित नामांकन अनिवार्य है (आश्रय गृहों या अनाथालयों में रहने वाले बालकों/बालिकाओं के अलावा) माता-पिता में से कोई या विधिक संरक्षक परिवार का मुखिया बन सकता है।

(ग) *एचओएफ* आधारित नामांकन करने से पूर्व *एचओएफ* के पास वैध आधार होना चाहिए।

(घ) *एचओएफ* आधारित नामांकन के लिए माता-पिता दोनों का आधार नंबर अपेक्षित है और माता-पिता में से किसी एक द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

(ङ) *पीओआर* दस्तावेज में बालक/बालिका और *एचओएफ*के नाम उल्लेख होना चाहिए।

(च) सहायकदस्तावेजमेंउल्लिखितव्यक्तिकानाम, व्यक्तिकेआधारमेंउसीरूपमेंदोहरायाजाएगा।माता-पिता/अभिभावककापहलानाम, मध्यनामऔरअंतिमनामजैसीकिसीअतिरिक्तसूचनापरविचारनहींकियाजाएगा।

(छ) *एचओएफ* के आधार में उल्लिखित पते का उपयोग बालक/बालिका के आधार में किया जाएगा।

(ज) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए , जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता अवधि तक ही मान्य होगा। हालांकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में , जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।

(झ) *ओसीआई* कार्ड धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

(ञ) *एलटीवी* दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार *एलटीवी* दस्तावेज की वैधता तक ही मान्य होगा।

(ट) *एचओएफ* को बालक/बालिका के नाम पर जारी पहचान के सबूत *(पीओआई)* निम्न दस्तावेजों में से कोई भी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है :-

   (i) भारतीय पासपोर्ट
   (ii) केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटो युक्त प्रमाण-पत्र यथा अधिवास प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र आदि।
   (iii) केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी अनु सूचित जाति/ अनु सूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र।
   (iv) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र।

किसी भी आयुकेव्यक्तिके आधारनंबर के नामांकनके लिए पहचान, पते, संबंधयाजन्म तिथिको साक्ष्यित करनेकेलिए जो दस्तावेजप्रस्तुतकिए जा सकते हैं उनकीसूची

✔काअर्थस्वीकार्यहै **X**काअर्थअस्वीकार्यहै

क्र. सं.	दस्तावेजोंकीसूची (इसतालिकाबद्ध ब्यौरेकेनीचेनोटदेखें)	नाम और फोटो से युक्त पहचान का सबूत (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का सबूत *(पीओए)* दस्तावेज	बालक/बालिका केनामऔरपरिवारकेमुखिया *(एचओएफ)* केनामसे युक्तसंबंध का सबूत *(पीओआर)*दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि कासबूत *(पीडीबी)* दस्तावेज
1.	वैधभारतीयपासपोर्ट	✔	✔	✔	✔ *
2.	पैनकार्ड/ई-पैनकार्ड	✔	X	X	X
3.	राशन/पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड/ई-राशन कार्ड	✔	✔	✔	X
4.	मतदातापहचानपत्र/ई-मतदातापहचानपत्र, जिसका ब्यौराभारतनिर्वाचनआयोगयासंबंधितमुख्यनिर्वाचनअधिकारीकी वेबसाइटपरऑनलाइनप्रदर्शितकियाजाताहै।	✔	✔	X	X
5.	ड्राइविंगलाइसेंस	✔	X	X	X
6.	केंद्रसरकार/राज्यसरकार/पीएसयू/नियामकनिकाय/सांविधिक निकायद्वाराजारीसेवाफोटोपहचानपत्र	✔	X	X	✔ *
7.	केंद्र सरकार द्वारा जारी /राज्य सरकार/पीएसयू/नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी पेंशनर फोटो पहचान पत्र/स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश	✔	X	✔	✔ *
8.	किसान फोटो पासबुक	✔	✔	X	X
9.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ पीएसयू/ द्वारा जारी सीजीएचएस/ ईसीएचएस/ईएसआईसी/मेडी-क्लेम कार्ड	✔	X	X	X
10.	दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र/ दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र	✔	✔	X	X
11.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटोग्राफ युक्त प्रमाण-पत्र जैसे भामाशाह, अधिवास प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र, जन-आधार, मनरेगा/नरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड आदि।	✔	✔	✔	X
12.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो युक्त/ बिना फोटो का विवाह प्रमाण-पत्र (बिना फोटो के विवाह प्रमाण-पत्र होने की स्थिति में, पुराने नाम और फोटो समर्थित *पीओआई* दस्तावेज की आवश्यकता है)	✔	✔	✔	X
13.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एसटी / एससी / ओबीसी प्रमाण-पत्र।	✔	✔	✔	X
14.	स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र (एसएलसी) / स्कूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टीसी)	✔	X	X	X

15.	केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय या मानद विश्वविद्यालय या उच्च शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी अंक-तालिका/ प्रमाण-पत्र	✔	X	✔	✔ *
16.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (आरबीआई द्वारा वर्गीकृत) द्वारा जारी विधिवत मुहर लगी और हस्ताक्षरित , फोटोयुक्त पासबुक तथा प्रभारी शाखा प्रबंधक से एक सहायक प्रमाण-पत्र सहित , जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि खाताधारक के संबंध में केवाईसी पूरा हो गया है और पते के लिए पते का सबूत है। पासबुक में दर्शाये गए पते के संबंध में पते का सबूत बैंक के अभिलेख में उपलब्ध है।	✔	✔	X	X
17.	अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरबीआई द्वारा अधिसूचित) की पासबुक, जिसमें नाम और फोटोग्राफ (बैंक की सील सहित क्रॉस स्टैम्प) हो तथा बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर हो/डाकघर की बचत खाता पासबुक (डाकघर के जारीकर्ता अधिकारी की मुहर सहित)	X	✔	X	X
18.	बैंक खाता विवरण/क्रेडिट कार्ड विवरण (जारीकर्ता बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर और बैंक स्टेम्प सहित)/डाकघर बचत खाता विवरण (डाकघर के जरीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित) (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	X	✔	X	X
19.	ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम , 2019 के अंतर्गत जारी ट्रांसजेंडर पहचान कार्ड/ प्रमाण-पत्र	✔	✔	✔	✔ *
20.	*यूआईडीएआई* मानक प्रमाण-पत्र प्रारूप पर जारी प्रमाण-पत्र:				
	(i) सांसद/विधायक/ एमएलसी/नगर पार्षद	X	✔	X	X
	(ii) राजपत्रित अधिकारी समूह 'ए'/कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अधिकारी	X	✔	X	X
	(iii) तहसीलदार / राजपत्रित अधिकारी समूह 'बी'	X	✔	X	X
	(iv) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) / राज्य स्वास्थ्य विभाग अधिकारी / राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के परियोजना निदेशक या उनके नामांकित के राजपत्रित (माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आपराधिक अपील संख्या 135/2010 में दिनांक 19.05.2022 के अनुसरण में)	✔	✔	X	X
	(v) अधीक्षक/*वार्डन*/मैट्रन/ मान्यता-प्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख (केवल बालकों/बालिकाओं के लिए संबंधित आश्रय ग्रह या अनाथालय)	✔	✔	X	X
	(vi) संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित मान्यता-प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (केवल संबंधित संस्थान के छात्रों के लिए)	X	✔	X	X
	(vii) ग्राम पंचायत प्रधान या मुखिया या इसके समकक्ष प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए), ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम राजस्व अधिकारी या समकक्ष (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)	X	✔	X	X
21.	बिजली का बिल (प्रीपेड/पोस्टपेड बिल, अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✔	X	X
22.	पानी का बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✔	X	X

23.	टेलीफोन लैंडलाइन बिल/पोस्टपेड मोबाइल बिल/ब्रॉडबैंड बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✔	X	X
24.	संपत्ति कर रसीद (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	X	✔	X	X
25.	वैध पंजीकृत बिक्री अनुबंध/पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत उपहार विलेख /पंजीकृत या गैर पंजीकृत किराया करार/ पट्टा करार/अवकाश और लाइसेंस करार	X	✔	X	X
26.	गैस कनेक्शन बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✔	X	X
27.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू /नियामक निकाय/सांविधिकनिकाय द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	X	✔	X	X
28.	जीवन/चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य)	X	✔	X	X
29.	जन्म और मुत्यु पंजीकरण अधिनियम , 1969 और इसके अंतर्गत बनाये गए नियमके अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र	X	X	✔	✔
30.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार हकदारी दस्तावेज	X	X	✔	X
31.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी किया गयाकैदी प्रवेश दस्तावेज *(पीआईडी)*	✔	✔	X	X
32.	परिवार के मुखिया *(एचओएफ)* यह प्रमाणित करते हुए स्व - घोषणा कि वह व्यक्ति *एचओएफ* के साथ उसी पते पर रह रहा है, केवल *एचओएफ*के पते के मामले में वैध (केवल *एचओएफ* के *इमिडिएट*परिवार के सदस्य/सदस्यों के पते के अद्यतीकरण के संबंध में उपयोग हेतु)	X	X	✔	X
33.	विधिक संरक्षकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज	X	X	✔	X
भारतके कार्ड धारक विदेशी नागरिकों (ओसीआई)/नेपालऔरभूटाननागरिकोंऔरनिवासी विदेशी नागरिकों के लिए लागूदस्तावेज					
34.	वैधविदेशीपासपोर्टकेसाथवैध *ओसीआई* कार्ड	✔	X	X	X
35.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मूल नागरिकों के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिंदू , सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा *(एलटीवी)*दस्तावेज सहित विदेशी पासपोर्ट (वैध या वैधता समाप्त)	✔	✔	X	X
36.	नेपाल/भूटान के नागरिक के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज एक ही पते वाले प्रस्तुत किए जा सकते हैं:- (क) नेपाली / भूटानी नागरिकताप्रमाण-पत्र (ख) नेपाल/भूटान के चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध मतदाता पहचान पत्र (ग) भारत में नेपाली मिशन/ रॉयल भूटानी मिशनद्वारा जारी प्रमाण-पत्र	✔	X	X	X
37.	अन्यविदेशीनागरिकोंकोवैधविदेशीपासपोर्टकेसाथवैधवीजाजारी कियाजाताहै	✔	X	X	X

38.	विदेशीनागरिककोविदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) /विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरओ)द्वाराजारीवैधरजिस्ट्रीकरणप्रमाण-पत्रयाआवासीयपरमिट(*ओसीआई* कार्डधारकों, *एलटीवी* दस्तावेज धारकोंऔरनेपाल/भूटाननागरिकोंकोछोड़कर)	X	✔	X	X
नाम, लिंग और जन्म तिथि *(डीओबी)*के अपवादात्मक मामलों के लिए लागू दस्तावेज					
39.	नाम परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए: नए नाम की राजपत्र अधिसूचना , फोटो सहित पुराने नाम के किसी समर्थनकारी *पीओआई* दस्तावेज (पहले/पूर्ण नाम परिवर्तन के लिए)/तलाक की डिक्री /गोद लेने का प्रमाण-पत्र/विवाह प्रमाण-पत्रके सहित	✔	X	X	X
40.	लिंग परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए: यदि निवासी ने सर्जरी द्वारा लिंग बदला है तो सर्जन से चिकित्सा प्रमाण-पत्र	✔	X	X	X
41.	जन्म तिथि परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए: जन्म और मुत्यु पंजीकरण अधिनियम , 1969 और इसके अंतर्गत बनाये गए नियमके अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र	X	X	X	✔

नोट:उपरोक्तसारणीबद्ध ब्यौरेमेंसूचीबद्धकोईभीदस्तावेजकेवलतभीस्वीकार्यहोगाजबवहनिम्नलिखितशर्तोंकोपूराकरताहो , नामत : —

(क) यहवर्तमानमेंवैधहै (जबतककिऊपरस्पष्टरूपसेअन्यथाप्रावधानितनकियागयाहो);

(ख) जिसव्यक्तिकेसंबंधमेंऐसादस्तावेजजारीकियागयाहैवहउसकाहकदारहै;

(ग) यदिदस्तावेजमेंअंतर्विष्टसूचना सार्वजनिक रूपसेप्रदर्शितहैया *यूआईडीएआई*कोअन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापनीय है, तोयदिऐसेसाधनोंकाउपयोगकियाजाताहै तो सूचना सत्यापित होती है;और

(घ) पहचान, पते, जन्म तिथियासंबंधकोसाक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुतदस्तावेजकोजारीकरनेवालेप्राधिकारीने ऐसीश्रेणीके दस्तावेज केसंबंधमेंकोईघोषणानहींकीहैकिऐसा दस्तावेज इसकासबूत नहींहै।

महत्वपूर्णलेख:

(क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिएजन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।

(ख) * 0-18 वर्षकेआयुवर्गकेसभीव्यक्तियोंकीजन्म तिथिअद्यतीकरणकेलिएसंबंधितराज्योंकेअधिकृतप्राधिकारीद्वाराजारीजन्मप्रमाण-पत्रअनिवार्यहै।

(ग) एक दस्तावेजकोपहचान केसबूत *(पीओआई)*दस्तावेजतभीस्वीकार किया जाएगा , जबउसमेंव्यक्तिकानामऔरफोटोशामिल होगा।

(घ) एक दस्तावेजकोपतेकेसबूत *(पीओए)*दस्तावेजतभीस्वीकार किया जाएगा , जबउसमेंव्यक्तिकानामऔरपताशामिलहोगा।

(ङ) एकदस्तावेजकोपहचान कासबूत *(पीओआई)*औरपतेकासबूत *(पीओए)*दस्तावेजदोनोंमेंतभीस्वीकारकियाजाएगा, जबउसमेंव्यक्तिकानाम, फोटोऔरपताशामिलहोगा।

(च) सहायकदस्तावेजमेंउल्लिखितव्यक्तिकानाम, व्यक्तिकेआधारमेंउसीरूपमेंदोहरायाजाएगा।माता-पिता/अभिभावककापहलानाम, मध्यनामऔरअंतिमनामजैसीकिसीअतिरिक्तसूचनापरविचारनहींकियाजाएगा।

(छ) *पीओआई*, *पीओए*और *पीडीबी*दस्तावेजव्यक्तिकेनामपरहोना चाहिए।परिवारकेसदस्य/सदस्योंकेनामपरमौजूददस्तावेजोंपरपरिवारकेअन्यसदस्योंकेनामांकननहींकिए जासकतेहै

(ज) *पीओआई*और *पीओए*दस्तावेजनहींहैंतोपरिवारकेमुखिया *(एचओएफ)* आधारितनामांकनकाउपयोगकियाजाएगा।

(झ) *एचओएफ*आधारितनामांकनकरनेसेपहले*एचओएफ*केपासवैधआधारहोनाचाहिए।आधारप्रमाणीकरणकेलिएनामांकनकेदौरान*एचओएफ*कोव्यक्तिकेसाथमौजूद रहनाहोगा।

(ञ) *एचओएफ* के आधारमेंउल्लिखितपतापरिवारकेसदस्यकेआधारमेंउपयोगकियाजाएगा।

(ट) बालक/बालिका (0-5 वर्ष) केमामलेमेंआधार में नाम "बेबीऑफ..." है तो , पहली बार पूर्णनामअद्यतनकेलिएजन्मऔरमृत्युपंजीकरण अधिनियम , 1969 केअंतर्गतप्राधिकृतप्राधिकारीद्वाराजारीकिएगएजन्मप्रमाण-पत्रकोप्रस्तुतकरनेकीअनुमतिदीजाएगी, जोउसकेअंतर्गतबनाएगएनियमोंकेसाथपढ़ाजाएगा।

(ठ) निवासी विदेशीनागरिकोंकेलिएआधारअपडेटकेवलआधारवयस्कनामांकनकेंद्रोंपरकियाजाएगा।

(ड) निवासी विदेशीनागरिकोंकेलिए , जारीकियागयाआधारकेवलवीजाकीवैधतातकमान्यहोगा।हालाँकि, नेपाल/भूटानकेनागरिकोंकेमामलेमें, जारीकियागयाआधारदससालकीअवधिकेलिएवैधहोगा।

(ढ) *ओसीआई* कार्डधारकोंकेलिएजारीकियागयाआधारकेवलदससालकीअवधिकेलिएवैधहोगा।

(ण) *एलटीवी* दस्तावेज धारकोंकेलिए, जारीकियागयाआधारकेवल*एलटीवी* दस्तावेज कीवैधतातकवैधहोगा।

(त) जन्म तिथिपरिवर्तनकेलिएस्व-घोषणादेखें - *[#]*

(थ) कृपयाअपवादहैंडलिंगतंत्रदेखें - *[##]*

(द) अपवादप्रबंधनप्रक्रिया*यूआईडीएआई*क्षेत्रीयकार्यालयोंकेअधिकारक्षेत्रकेअंतर्गतकीजातीहैऔरसंबंधितक्षेत्रीयकार्यालयद्वारामामलेकीउचितपड़तालकेबादहीइसपरविचारकियाजाताहै।

(ध) सभीदस्तावेजनवीनतमऔरवैधहोनेचाहिए (अन्यथानिर्दिष्टकोछोड़कर) ;"; और

#- https://uidai.gov.in/images/SOP_for_DOB_update.pdf

##- https://uidai.gov.in/images/Biometric_exception_guidelines_01-08-2014.pdf

SELF-DECLARATION FROM THE HEAD OF FAMILY (HOF) FOR SHARING ADDRESS WITH IMMEDIATE FAMILY MEMBER RESIDING AT THE SAME ADDRESS

I, ____ (Name as in Aadhaar), resident of ____ ____ (Address as provided in Aadhaar) holding Aadhaar Number_______________________________________, do hereby solemnly affirm and declare as under:-

i. That resident Mr./Ms.________________________________ holding Aadhaar number _________________________ is related to me as my ____________________________ ______________________________ (Please specify the relation with applicant) and is residing with me at the above mentioned address.

ii. That I agree to share my address in my Aadhaar with Mr./Ms. ____________________ _______________________ for updating his/her address in Aadhaar in my capacity of Head of the Family (HoF).

iii. That the undersigned undertakes that, the above mentioned information is correct to the best of my knowledge and belief and at any point of time if any of the said information is found to be incorrect/fraudulent/false, the Aadhaar of Mr./Ms. ______________________________ and mine can be deactivated and legal action may be initiated against me, as per the provisions of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) and, Regulations framed there under and other applicable Acts and Rules, etc.

Date DD/MM/YYYY **Name & Signature of Head of the Family (HoF)**

Note:

1. ***This document is valid for Head of Family (HoF) based Aadhaar address update purpose only.***
2. ***This document is valid for 3 months from date of issue***

CERTIFICATE FOR AADHAAR ENROLMENT/ UPDATE (TO BE USED ONLY AS PROOF OF ADDRESS*)

Instructions: **All details to be filled in Block Letters**

(To be valid for 3 months from date of issue)

To be printed on plain A4 paper size; *Not required to be printed on letter head;*

D D | M M | Y Y Y Y

Resident's Details

☐ Resident ☐ Non-Resident Indian (NRI) ☐ New Enrolment ☐ Update Request

Aadhaar Number:
(For update only)

Full Name:

C/o:

House No./ Bldg./ Apt:

Street/ Road/ Lane:

Landmark:

Area/ Locality/ Sector:

Village/ Town/ City:

Post Office:

District:

State:

PIN Code:

Date of Birth:

Signature of the Resident/
Thumb/ Finger Impression

Resident's Recent
Colour Photograph
3.5cm x 4.5 cm

Cross Signed and
Cross Stamped
by the Certifier.

NB: DO NOT
OVERLAP WITH
TEXT BOXES

Certifier's Details (To be filled by the certifier Only)

Name of the Certifier:

Designation:

Office Address:

Contact Number:

I hereby certify above mentioned details of the resident and I am a.... (Tick appropriate box below)

- ☐ Gazetted Officer - Group A
- ☐ Village Panchayat Head or Mukhiya
- ☐ Gazetted Officer - Group B
- ☐ MP/ MLA/ MLC/ Municipal Councillor
- ☐ Tehsildar
- ☐ Head of Recognized Educational Institution
- ☐ Superintendent/ Warden/ Matron/ Head of Institution of Recognized shelter homes/ Orphanages
- ☐ EPFO Officer

Checklist for Certifier

☐ No overwriting ☐ Issue date is filled ☐ Resident's signature ☐ Certifier's details

☐ Resident's Photo is cross signed and cross stamped *(paper to photo or photo to paper)*

Signature & Stamp of the Certifier

*To be used as Proof of Identify (PoI) only in specific cases as mentioned in the list of applicable supporting documents.

CERTIFICATE FOR AADHAAR ENROLMENT/ UPDATE (TO BE USED ONLY AS PROOF OF ADDRESS*)

Instructions: **All details to be filled in Block Letters** *(To be valid for 3 months from date of issue)*

To be printed on plain A4 paper size; *Not required to print on letter head;* 12 | 07 | 2022

Resident's Details

[✓] Resident [ ] Non-Resident Indian (NRI) [ ] New Enrolment [✓] Update Request

Aadhaar Number: (For update only)	123456789012
Full Name:	MOHAN KUMAR
C/o:	MAHESH KUMAR
House No./ Bldg./ Apt:	A-312 / 5
Street/ Road/ Lane:	BLOCK - D4
Landmark:	NEAR OXFORD LIBRARY
Area/ Locality/ Sector:	MOHAN NAGAR
Village/ Town/ City:	INDRAPURAM
Post Office:	INDRAPURAM
District:	GHAZIABAD
State:	UTTAR PRADESH
PIN Code:	201007
Date of Birth:	01 / 01 / 1990

Mohan

Signature of the Resident/ Thumb/ Finger Impression

Certifier's Details (To be filled by the certifier Only)

Name of the Certifier:	MANOJ TIWARI
Designation:	DEPUTY DIRECTOR
Office Address:	MINISTRY OF HEALTH, ROOM NO - 305D
	SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI - 110001
Contact Number:	9878 54XXXX

I hereby certify above mentioned details of the resident and I am a.... (Tick appropriate box below)

- [✓] Gazetted Officer - Group A
- [ ] Village Panchayat Head or Mukhiya
- [ ] Gazetted Officer - Group B
- [ ] MP/ MLA/ MLC/ Muncipal Councilor
- [ ] Tehsildar
- [ ] Head of Recognized Educational Institution
- [ ] Superintendent/ Warden/ Matron/ Head of Institution of Recognized shelter homes/ Orphanages
- [ ] EPFO Officer

Checklist for Certifier

[✓] No overwriting [✓] Issue date is filled [✓] Resident's signature [✓] Certifier's details
[✓] Resident's Photo is cross signed and cross stamped *(paper to photo or photo to paper)*

Manoj Tiwari

Signature & Stamp of the Certifier

*To be used as Proof of Identify (PoI) only in specific cases as mentioned in the list of applicable supporting documents.

INSTRUCTIONS FOR FILLING UP Certificate for AADHAAR ENROLMENT/ UPDATE

(To be used only as proof of address*)

A. GENERAL INSTRUCTIONS – Please read these instructions carefully before filling the application form

The Application Form consists of two forms, i.e., Resident details and Certifier details.
Sample filled form is available at the end of these instructions. Residents are advised to view the sample filled form after reading these instructions.
Incomplete or inappropriately-filled application form will not be accepted. Please follow the instructions given below while filling the form.

- Certificate has to be printed on Plain paper.
- Use CAPITAL LETTERS only, as shown in the image below –

r	a	m	e	s	h

Incorrect

R	A	M	E	S	H

Correct

- Use standard fonts and avoid stylized writing.
- Use black or blue ball point pen only. Do NOT fill the application form with ink-pen or pencil.
- Put a tick marks (☑), in the boxes where you have to select options as your answer and leave the other option(s) blank.
- Write clearly within the boxes without touching the boundaries. Try and write in the centre of the box, as shown in the image below–

M E H T A — **Incorrect**

M	E	H	T	A

Correct

- Leave one box blank after each complete word, while filling up the boxes.

R	A	M	E	S	H	G	U	P	T	A		

Incorrect

R	A	M	E	S	H		G	U	P	T	A		

Correct

- Do NOT write "NA" or "N/A" or "NOT APPLICABLE" in any boxes in the form to convey that the column is not relevant for your case. Leave that column blank.

B. FIELD-WISE GUIDELINES FOR FILLING UP "CERTIFICATE FOR AADHAAR ENROLMENT/ UPDATE"- Resident section

ensure all the fields are filled properly, as per below instructions.

S No	Filed Name	General Instructions
1	Date of Issue	• Specify the date in DD-MM-YYYY format. • Ensure Certificate is submitted within 3 months of date of issue. • Enrollment or Update Request will be rejected if Date of Issue is blank or Certificate has expired.
2	Resident Category	• Specify the resident is native Resident of India or belongs to Non Resident Indian (NRI) Category
3	Enrolment type	• Specify the current request is either for obtaining a Aadhaar card which is known as "New Enrolment" or for updating an existing Aadhaar details which is known as "Update Request".
4	Aadhaar Number	• Mention your Aadhaar Number. • In case of Enrolment, Kindly leave it blank. • In case of Update, it is mandatory to specify the Aadhaar number.
5	Full Name	• Mention the name of Resident. • Name shall be mentioned in the format as to be recorded in the Aadhaar.
6	C/o	• Mention the Care of (C/o) if required in the address field. • This field can be left blank as well.
7	House No/ Bldg./ Apt:	• Mention the House Number, Building Name or Apartment Name as per the address.
8	Street/Road/ Lane	• Mention Street Name, Road & Lane of the address.
9	Landmark	• Mention the Landmark near your address. • This field can be left blank as well, if not required.
10	Area/ Locality/ Sector	• Mention Area/ Locality/ Sector of your address.
11	Village/ Town/ City	• Mention Village/ Town/ City of your address.
12	Post Office	• Mention the nearest post office of your address. • This filed can be left blank.
13	District	• Mention the District of your address.
14	State	• Mention the State of your address.

15	Pin Code	• Mention the pincode of your address.
16	Date of Birth	• Mention the Date of Birth.
17	Signature	• Resident shall do the Signature in the box specified for signature. • Illiterate Resident can provide Thumb or Finger impression.
18	Resident Photo	• Resident shall paste latest color photograph of size 3.5 cm X 4.5 cm. • Ensure photo is pasted in the space provided. It shall not overlap in text boxes. • Photo needs to be cross sign by the certifier. • Photo needs to be cross stamped by the certifier.

C. FIELD-WISE GUIDELINES FOR FILLING UP "CERTIFICATE FOR AADHAAR ENROLMENT/ UPDATE"- Certifier section

Kindly ensure all the fields are filled properly by the Certifier, as per below instructions.

S No	Filed Name	General Instructions
1	Name of Certifier	• Mention the name of Certifier
2	Designation and office name	• Specify the designation and office name of the Certifier.
3	Office Address	• Specify the complete address of the certifier, along with Department name.
4	Contact Number	• Specify the contact details of the certifier.
5	Certifier Type	• Mention the certifier type by tick mark one of box from below categories: o Gazetted Officer - Group A o Village Panchayat Head or Mukhiya o Gazetted Officer - Group B o MP/ MLA/ MLC/ Municipal Councillor o Tehsildar o Head of Recognized Educational Institution o Superintendent/ Warden/ Matron/ Head of Institution of Recognized shelter homes/ Orphanages o EPFO Officer
6	Checklist for Certifier	• Verify the below checklist by tick mark the boxes: o No overwriting o Issue date is filled o Resident's signature o Certifier's details o Resident's Photo is cross signed and cross stamped (paper to photo or photo to paper) • Please ensure that complete form is duly filled, and all boxes of checklist all selected.
7	Sign & Stamp of the certifier	• Provide certifier sign and stamp in the space specified.

D. IMPORTANT INSTRUCTIONS

Below are few important steps that resident shall ensure before submitting the form:

- This document can only be used as Proof of Address (PoA). For the specified cases defined in the list of acceptable supporting documents, this certificate can also be considered as valid Proof of Identity (PoI).
- Certificate has to be printed on Plain paper.
- Form has to be submit with 3 months of date of issue.
- Kindly ensure No writing on the form.
- Date of issue has to be filled properly in DD-MM-YYYY format.
- Resident signature or thumb impression is must.
- Certifier details have to be properly filled in.
- Resident shall paste the latest colored photograph of 3.5cm X 4.5 cm with in the defined area.
- Certifier cross sign & cross stamp is must on the resident photograph.
- Certifier complete details must be filled in.

**To be used as Proof of Identify (PoI) only in specific cases as mentioned in the list of applicable supporting documents.*

--End of Instructions--